

राज्य सहायता समझौता

दिल्ली हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के
संबंध

में

के बीच

भारत के राष्ट्रपति

(भारत सरकार की ओर से)

और

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

26 अप्रैल, 2006

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
खंड 1	3
परिभाषाएं और व्याख्या	3
खंड 2	7
प्रभावी तिथि	7
खंड 3	7
भारत सरकार का सहयोग	7
खंड 4	15
भारतीय रक्षा बल और सैन्य गतिविधियां	15
खंड 5	16
समन्वय समितियां	16

विषय	पृष्ठ
खंड 6	17
एएआई के हस्तक्षेप/कदम उठाने के अधिकार	17
खंड 7	17
अवधि और समाप्ति	17
खंड 8	17
अपरिहार्य घटना	17
खंड 9	18
शासी कानून और विवाद समाधान	18
खंड 10	19
कानून में परिवर्तन	19
खंड 11	21
दायित्व	21

विषय	पृष्ठ
खंड 12	21
विविध	21
अनुसूची 1	25
शुल्क निर्धारण के सिद्धांत	25
अनुसूची 2	30
सीमा शुल्क नियंत्रण	30
अनुसूची 3	31
पादप संरक्षण और संगरोध सेवाएं	31
अनुसूची 4	32
पशु संगरोध सेवाएं	32
अनुसूची 5	33
स्वास्थ्य सेवाएं	33

विषय	पृष्ठ
अनुसूची 6	34
वैमानिक शुल्क	34
अनुसूची 7	35
[भारत सरकार की गारंटी का प्रारूप]	35
अनुसूची 8	42
आधार हवाई अड्डा शुल्क	42

यहाँ प्रस्तुत **राज्य सहायता समझौते (State Support Agreement)** का पूर्ण एवं सटीक हिंदी अनुवाद दिया गया है:

राज्य सहायता समझौता

यह राज्य सहायता समझौता 26 अप्रैल 2006 को दिल्ली में निम्नलिखित **पक्षकारों के बीच** निष्पादित किया गया है:

1. **भारत के राष्ट्रपति**, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से कार्य करते हुए (जिन्हें आगे "**भारत सरकार**" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), एक पक्ष; और
2. **दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल, बिड़ला टावर, 25, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110 001 में स्थित है (जिन्हें आगे "**संयुक्त उद्यम कंपनी**" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), दूसरा पक्ष।

भारत सरकार और संयुक्त उद्यम कंपनी को आगे सामूहिक रूप से "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा गया है।

जबकि:

(A) भारत सरकार ने उदारीकरण की अपनी नीति के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आगे "एएआई") को भारत में हवाई अड्डों के प्रबंधन का कार्य सौंपा।

(B) उपरोक्त नीति को आगे बढ़ाते हुए, एएआई ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली (आगे "हवाई अड्डा") को संचालित, बनाए रखने, विकसित करने, डिजाइन करने, निर्माण करने, उन्नत करने, आधुनिकीकरण करने, वित्तपोषित करने और प्रबंधित करने में सक्षम और इच्छुक निजी प्रतिभागियों की तलाश की।

(C) एएआई और निजी प्रतिभागियों के साथ शेयरधारकों के रूप में उपरोक्त उद्देश्य के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन कंपनी (आगे "संयुक्त उद्यम कंपनी") निगमित की गई है।

(D) एएआई और संयुक्त उद्यम कंपनी ने एक संचालन, प्रबंधन और विकास समझौते (आगे "ओएमडीए") में प्रवेश किया है, जिसके द्वारा वे उन नियमों और शर्तों पर सहमत हुए हैं जिनके तहत संयुक्त उद्यम कंपनी हवाई अड्डे का संचालन, वित्तपोषण और प्रबंधन आदि करेगी।

(E) संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा ओएमडीए में प्रवेश करने के एवज में और संयुक्त उद्यम कंपनी के सुचारू कामकाज और व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए, ओएमडीए के तहत एएआई के दायित्वों के अलावा, भारत सरकार संयुक्त उद्यम कंपनी को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है।

अब एतद्वारा निम्नलिखित अनुसार सहमति बनी है:

खंड 1: परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

- "एएआई प्रतिनिधि" का अर्थ ओएमडीए के अनुसार, समय-समय पर एएआई द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होगा;
- "वैमानिक शुल्क" का अर्थ वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के लिए (और इसके परिणामस्वरूप वैमानिक परिसंपत्तियों से संबंधित लागतों की वसूली के लिए) संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा हवाई अड्डे पर लगाया जाने वाला शुल्क होगा;
- "समझौता" या "यह समझौता" का अर्थ यह राज्य सहायता समझौता होगा;
- "हवाई अड्डा समन्वय समिति" का अर्थ खंड 5.2 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;
- "संशोधन नोटिस" का अर्थ नीचे खंड 10.2 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;
- "पशु संगरोध सेवाएं" का अर्थ संलग्न अनुसूची 4 में निर्धारित संगरोध सेवाएं (भारत सरकार की सेवाओं का हिस्सा) होगा;
- "पशु संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि" का अर्थ संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मनोनीत संगरोध विभाग का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;
- "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" का अर्थ नीचे खंड 9.3.2 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;
- "कानून में परिवर्तन" का अर्थ निजी प्रतिभागियों के चयन के उद्देश्य से एएआई द्वारा शुरू की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान निजी प्रतिभागियों द्वारा हवाई अड्डे के लिए बाध्यकारी प्रस्ताव या बोली जमा करने की अंतिम तिथि ("बोली तिथि") के बाद निम्नलिखित में से किसी भी घटना का होना है (कर कानूनों या पर्यावरण कानूनों के संबंध में छोड़कर):
 - (a) किसी मौजूदा भारतीय कानून में संशोधन, परिवर्तन या निरसन अथवा किसी नए भारतीय कानून का अधिनियमन;
 - (b) किसी ऐसे भारतीय कानून का प्रारंभ होना, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, सिवाय उस सीमा के जहाँ ऐसा भारतीय कानून बोली तिथि से पहले केंद्रीय विधायिका में (एक विधेयक के रूप में) पेश किया गया था या पारित किया गया था, जिसकी प्रारंभ तिथि इसके बाद की थी और ऐसा भारतीय कानून बिना किसी महत्वपूर्ण संशोधन के उस प्रारंभ तिथि को लागू होता है;
 - (c) भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी भारतीय कानून की व्याख्या, आवेदन या प्रवर्तन में परिवर्तन;
 - (d) किसी भी मंजूरी/स्वीकृति मिलने की तिथि के बाद ऐसी मंजूरी से जुड़ी शर्तों में परिवर्तन या नई शर्तों का जुड़ना या संयुक्त उद्यम कंपनी के किसी कार्य या निष्क्रियता के अलावा अन्य कारणों से ऐसी मंजूरी का आंशिक या पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाना;

- परंतु शर्त यह है कि हवाई अड्डे पर क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी नियामक प्राधिकरण का गठन या स्थापना (उससे संबंधित या उसके तहत नियमों और विनियमों के निर्माण सहित) कानून में परिवर्तन नहीं माना जाएगा;
- परंतु यह और भी किएक ऐसी घटना, जिसके प्रतिकूल प्रभाव का बीमा अच्छे औद्योगिक अभ्यास के अनुसार कराया गया है या कराया जा सकता था, कानून में परिवर्तन नहीं माना जाएगा।
- **"मुआवजा नोटिस"** का अर्थ नीचे खंड 10.4 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;
- **"सीमा शुल्क नियंत्रण"** का अर्थ संलग्न अनुसूची 2 में निर्धारित सीमा शुल्क संबंधी सेवाएं होगा;
- **"सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि"** का अर्थ संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मनोनीत सीमा शुल्क नियंत्रण विभाग का प्रतिनिधि होगा, जो कम से कम आयुक्त के पद पर हो;
- **"आर्थिक नियामक प्राधिकरण"** का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.1.1 में इस शब्द को दिया गया है;
- **"सुविधा घटक"** का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.1A.1 में दिया गया है;
- **"भारत सरकार"** का वही अर्थ होगा जो इस समझौते की प्रस्तावना में दिया गया है;
- **"भारत सरकार का प्रतिनिधि"** का अर्थ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत भारत सरकार का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;
- **"भारत सरकार की सेवाएं"** का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.3.1 में दिया गया है;
- **"भारत सरकार का सहयोग"** का वही अर्थ होगा जो इस समझौते के खंड 3 में दिया गया है;
- **"स्वास्थ्य सेवाएं"** का अर्थ संलग्न अनुसूची 5 में निर्धारित स्वास्थ्य सेवाएं (भारत सरकार की सेवाओं का हिस्सा) होगा;
- **"स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिनिधि"** का अर्थ संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मनोनीत स्वास्थ्य विभाग का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;
- **"आप्रवासन सेवाएं"** का अर्थ लागू कानून के अनुसार आप्रवासन सेवाएं (भारत सरकार की सेवाओं का हिस्सा) होगा;
- **"आप्रवासन सेवाएं प्रतिनिधि"** का अर्थ संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मनोनीत आप्रवासन विभाग का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;
- **"भारतीय कानून"** का अर्थ भारत की संसद द्वारा अधिनियमित भारत के क्षेत्र में लागू कोई भी कानून होगा (न कि किसी राज्य विधायिका द्वारा);
- **"संयुक्त समन्वय समिति"** का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 5.1.1 में दिया गया है;
- **"संयुक्त उद्यम कंपनी"** का वही अर्थ होगा जो इस समझौते की प्रस्तावना में दिया गया है;
- **"संयुक्त उद्यम कंपनी प्रतिनिधि"** का अर्थ संयुक्त समन्वय समिति और हवाई अड्डा समन्वय समिति में संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा समय-समय पर मनोनीत प्रतिनिधि होगा, जो कम से कम निदेशक के पद पर हो;
- **"मौसम संबंधी सेवाएं"** का अर्थ मौसम संबंधी सेवाएं (भारत सरकार की सेवाओं का हिस्सा) होगा;
- **"मौसम संबंधी सेवाएं प्रतिनिधि"** का अर्थ संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मनोनीत मौसम सेवा विभाग का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;

- **"संचालन, प्रबंधन और विकास समझौता"** या **"ओएमडीए"** का अर्थ एएआई और संयुक्त उद्यम कंपनी के बीच हस्ताक्षरित संचालन, प्रबंधन और विकास समझौता है;
- **"यात्री सेवा शुल्क"** का अर्थ संलग्न अनुसूची 8 के प्रावधान के अनुसार हवाई अड्डे पर प्रस्थान करने वाले प्रति यात्री से लिया जाने वाला शुल्क होगा;
- **"पादप संगरोध सेवाएं"** का अर्थ संलग्न अनुसूची 3 में निर्धारित संगरोध सेवाएं (भारत सरकार की सेवाओं का हिस्सा) होगा;
- **"पादप संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि"** का अर्थ संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मनोनीत संगरोध विभाग का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;
- **"निजी प्रतिभागी"** का वही अर्थ होगा जो एएआई, संयुक्त उद्यम कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनी के अन्य प्रस्तावित शेयरधारकों के बीच निष्पादित शेयरधारक समझौते में इस शब्द को दिया गया है;
- **"परियोजना"** का अर्थ ओएमडीए के तहत यथा-प्रावधान हवाई अड्डों का डिजाइन, विकास, निर्माण, आधुनिकीकरण, उन्नयन, वित्तपोषण, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव है;
- **"नियामक प्राधिकरण"** का अर्थ हवाई अड्डों के किसी भी पहलू के नियमन के लिए भारत में स्थापित/स्थापित किए जाने वाले किसी भी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण से है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आर्थिक नियामक प्राधिकरण गठित होने पर एक नियामक प्राधिकरण होगा;
- **"आरक्षित गतिविधियां"** का अर्थ लागू कानून के अनुसार केवल वैमानिक परिसंपत्तियों और संबंधित सेवाओं के संबंध में हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क, आप्रवासन, सुरक्षा (और विशेष रूप से वैमानिक परिसंपत्तियों के आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर), स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, पादप और पशु संगरोध, सीएनएस/एटीएम सेवाएं और अन्य वैधानिक या संप्रभु कार्य होंगे;
- **"सुरक्षा घटक"** का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.1A.1 में दिया गया है;
- **"सुरक्षा सेवाएं"** का अर्थ सुरक्षा सेवाएं (भारत सरकार की सेवाओं का हिस्सा) होगा;
- **"सुरक्षा सेवाएं प्रतिनिधि"** का अर्थ संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मनोनीत सुरक्षा सेवा विभाग का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;
- **"राज्य सरकार प्रतिनिधि"** का अर्थ दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत दिल्ली सरकार का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;
- **"अवधि"** का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 7.1 में दिया गया है;
- **"तीसरा पक्ष"** का अर्थ इस समझौते का पक्षकार न होने वाली कोई भी संस्था होगी।

यहाँ प्रयुक्त अन्य शब्द जिनका यहाँ उल्लेख नहीं है परंतु ओएमडीए के तहत परिभाषित हैं, उनका अर्थ वही होगा जो ओएमडीए में दिया गया है।

1.2

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, ओएमडीए के खंड 1.2 में उल्लेखित व्याख्या नियम लागू होंगे।

खंड 2: प्रभावी तिथि

2.1 इस समझौते के प्रावधान (खंड 1, 2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 7, 8, 9, 11 और 12 में शामिल प्रावधानों को छोड़कर, जो इस समझौते की तिथि से ही पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं) प्रभावी तिथि से लागू होंगे और पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे।

2.2 यदि ओएमडीए को उसमें निहित पूर्व-शर्तों की पूर्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया जाता है, तो यह समझौता बिना किसी लागत या परिणाम के तुरंत समाप्त हो जाएगा।

खंड 3: भारत सरकार का सहयोग

संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा ओएमडीए में प्रवेश करने और उसमें निर्धारित वचनों और दायित्वों के एवज में, भारत सरकार एतद्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी को निम्नलिखित सहयोग ("**भारत सरकार का सहयोग**") प्रदान करने का वचन देती है:

3.1 हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण

- **3.1.1** भारत सरकार की मंशा एक स्वतंत्र हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण ("**आर्थिक नियामक प्राधिकरण**") स्थापित करने की है, जो भारत में कुछ हवाई अड्डों के विनियमन के कुछ पहलुओं (वैमानिक शुल्क के विनियमन सहित) के लिए जिम्मेदार होगा। भारत सरकार प्रभावी तिथि से दो (2) वर्षों के भीतर आर्थिक नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उसे चालू करने के लिए उचित प्रयास करने पर सहमत होती है। भारत सरकार आगे पुष्टि करती है कि, लागू कानून के अधीन, वह यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेगी कि आर्थिक नियामक प्राधिकरण संलग्न अनुसूची 1 में निर्धारित व्यापक सिद्धांतों के अनुसार वैमानिक शुल्कों का नियमन और निर्धारण/पुनर्निर्धारण करे। *परंतु शर्त यह है कि* ओएमडीए के तहत संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा एएआई को भुगतान की गई/देय अग्रिम फीस और वार्षिक फीस को वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के लिए लागत के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा और इसके संबंध में कोई पास-थ्रू उपलब्ध नहीं होगा।
- **3.1.2** इस अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए वैमानिक शुल्कों की गणना संलग्न अनुसूची 6 के अनुसार की जाएगी। अत्यधिक सावधानी के तौर पर, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूची 6 में यथा-निर्धारित वैमानिक शुल्कों पर सफल बोलीदाता के चयन के बाद बातचीत नहीं की जाएगी और संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किसी भी स्थिति में इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा।
- **3.1.3** भारत सरकार पुष्टि करती है कि जब तक आर्थिक नियामक प्राधिकरण वैमानिक शुल्कों का नियमन शुरू नहीं कर देता, तब तक इन्हें संलग्न अनुसूची 1 में निर्धारित व्यापक सिद्धांतों के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

3.1A यात्री सेवा शुल्क

- **3.1A.1** हवाई अड्डे पर वसूला जाने वाला यात्री सेवा शुल्क प्रति प्रस्थान करने वाले यात्री पर नामित सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा व्यय की लागत (वर्तमान में यात्री सेवा शुल्क का 65 प्रतिशत) ("**सुरक्षा घटक**") और संयुक्त उद्यम कंपनी को देय सुविधा घटक (वर्तमान में यात्री सेवा शुल्क का 35 प्रतिशत) ("**सुविधा घटक**") को मिलाकर होगा।

- **3.1A.2** सुरक्षा घटक को भारत सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने पर संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा ऊपर या नीचे संशोधित किया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि ऐसी वृद्धि के साथ यात्री सेवा शुल्क में भी समान वृद्धि (या कमी, जैसा लागू हो) होगी।
- **3.1A.3** सुविधा घटक को अनुसूची 6 के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि ऐसी वृद्धि/कमी के साथ यात्री सेवा शुल्क में भी समान वृद्धि/कमी होगी।
- **3.1A.4** पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि संबंधित एयरलाइंस पूरे यात्री सेवा शुल्क को एकत्र करेंगी और उसके सुरक्षा घटक को एएआई को और सुविधा घटक को सीधे संयुक्त उद्यम कंपनी को वितरित करेंगी।

3.2 □□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□

- **3.2.1** पक्षकार एतद्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि ओएमडीए में विस्तार से बताए अनुसार परियोजना को शुरू करने और लागू करने के लिए लागू कानून द्वारा आवश्यक सभी स्वीकृतियों को प्राप्त करना और हर समय बनाए रखना संयुक्त उद्यम कंपनी की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व होगा। इस दिशा में, भारत सरकार, लागू कानून के पूर्ण अनुपालन में संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर (और बशर्ते लागू कानून के तहत संयुक्त उद्यम कंपनी ऐसी स्वीकृति प्राप्त करने की हकदार हो), प्रासंगिक वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक स्वीकृतियां देने का उचित प्रयास करेगी, और जहाँ कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, भारत सरकार विधिवत पूर्ण और लागू कानूनों के पूर्ण अनुपालन में प्रासंगिक आवेदन जमा किए जाने के पैंतालीस (45) दिनों के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करेगी। भारत सरकार सक्षम स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान के अनुमोदन को प्राप्त करने में उचित सहायता प्रदान करने का भी वचन देती है।
- **3.2.2** संयुक्त उद्यम कंपनी एतद्वारा वचन देती है कि स्वीकृतियों के अनुदान में तेजी लाने के लिए, वह लगन से और समयबद्ध तरीके से, (i) संबंधित अधिकारियों के पास आवेदन तैयार करेगी और दाखिल करेगी जो लागू कानून के पूर्ण अनुपालन में हों; (ii) संबंधित अधिकारियों के साथ उपरोक्त आवेदनों का अनुवर्ती (follow-up) करेगी; और (iii) आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण के सभी अनुरोधों का समयबद्ध तरीके से उत्तर देगी।
- **3.2.3** भारत सरकार एतद्वारा वचन देती है कि भारत सरकार के नियंत्रण और दिशा-निर्देश के तहत संबंधित एजेंसियों, अधिकारियों, विभागों, निरीक्षक कार्यालयों, मंत्रालयों के साथ तालमेल बिठाने में संयुक्त उद्यम कंपनी को सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार में संपर्क के एकल बिंदु के माध्यम से एक एकल खिड़की मंजूरी (सिंगल विंडो क्लीयरेंस) तंत्र/मार्ग स्थापित करने पर विचार करेगी।

3.3 भारत सरकार की सेवाएं

- **3.3.1** भारत सरकार पूरी अवधि के दौरान हवाई अड्डे पर आरक्षित गतिविधियों (हवाई यातायात नियंत्रण और वायु नौवहन सेवाओं को छोड़कर) (जिन्हें आगे "भारत सरकार

की सेवाएं" कहा गया है) को प्रदान करेगी या प्रदान करवाएगी। वर्तमान में, भारत सरकार की सेवाएं हैं:

1. सीमा शुल्क नियंत्रण;
2. आप्रवासन सेवाएं;
3. पादप संगरोध सेवाएं;
4. पशु संगरोध सेवाएं;
5. स्वास्थ्य सेवाएं;
6. मौसम संबंधी सेवाएं; और
7. सुरक्षा सेवाएं।

परंतु शर्त यह है कि भारत सरकार के पास हर समय यह अधिकार होगा कि वह अपने विकल्प पर संयुक्त उद्यम कंपनी से भारत सरकार की किसी भी या सभी सेवाओं को पूरी तरह से या आंशिक रूप से ऐसे नियमों और शर्तों (ऐसी सेवाओं को प्रदान करने के प्रतिफल सहित) पर शुरू करने और प्रदान करने की आवश्यकता रखे जो दोनों पक्षकारों को उचित रूप से स्वीकार्य हों।

- 3.3.2 भारत सरकार को भारत सरकार की सेवाएं प्रदान करने या उनका प्रावधान सुनिश्चित करने की अनुमति देने के लिए, संयुक्त उद्यम कंपनी भारत सरकार या उसके नामित प्रतिनिधियों को बिना किसी लागत के ऐसी उचित पहुंच प्रदान करेगी ताकि भारत सरकार या उसके नामित प्रतिनिधि हवाई अड्डे पर भारत सरकार की सेवाएं प्रदान कर सकें। संयुक्त उद्यम कंपनी भारत सरकार या उसके नामित प्रतिनिधियों को ऐसी स्थान आवश्यकताओं को भी प्रदान करेगी जो उचित हों; परंतु यह कि हवाई अड्डे पर भारत सरकार की सेवाओं के प्रावधान के लिए परिचालन स्थान बिना किसी लागत के प्रदान किया जाएगा और बैंक ऑफिस स्थान हवाई अड्डे पर अन्य कार्यालय किरायों के लिए लागू वाणिज्यिक किराए के 50% पर प्रदान किया जाएगा।
- 3.3.3 संयुक्त उद्यम कंपनी भारत सरकार की सहमति के बिना हवाई अड्डे पर भारत सरकार या उसके नामित प्रतिनिधि को प्रदान किए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने की हकदार नहीं होगी।
- 3.3.4 हवाई अड्डे के किसी भी और विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के मामले में जिसमें भारत सरकार या उसके नामित प्रतिनिधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान या सुविधाओं की आवाजाही या पुनर्गठन शामिल है, संयुक्त उद्यम कंपनी भारत सरकार को विधिवत सूचित करेगी, और संयुक्त उद्यम कंपनी तथा भारत सरकार उचित समय के भीतर चर्चा करेंगे और स्थान की आवश्यकताओं में किसी भी संशोधन पर सहमत होंगे जो ऐसे विस्तार या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक हो सकता है। पक्षकारों द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि ऐसे मामले में बैंक ऑफिस स्थान टर्मिनल भवनों के बाहर प्रदान किया जा सकता है।
- 3.3.5 संयुक्त उद्यम कंपनी भारत सरकार/नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या उसके नामित प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर आवश्यक सभी सुरक्षा प्रणालियों और उपकरणों (हथियारों और गोला-बारूद को छोड़कर) को अपने खर्च पर प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी।
- 3.3.6 हवाई अड्डे, यात्रियों, हवाई अड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों और अन्य आगंतुकों तथा विमानों, माल और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं

समय-समय पर भारत सरकार या उसके नामित प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। संयुक्त उद्यम कंपनी एतद्वारा समय-समय पर भारत सरकार या उसके नामित प्रतिनिधियों द्वारा जारी ऐसी सभी प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करने का वचन देती है।

- 3.3.7 सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्मि भारत सरकार या उसके नामित प्रतिनिधि द्वारा नामित सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
- 3.3.8 संयुक्त उद्यम कंपनी हर समय भारत सरकार के अधिकारियों और हवाई अड्डे पर सेवाएं प्रदान करने वाले उसके नामित प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगी।

3.4 प्रथम इनकार का अधिकार (Right of First Refusal)

- 3.4.1 हवाई अड्डे के 150 किमी (एक सौ पचास किलोमीटर) के दायरे में दूसरे हवाई अड्डे के संबंध में "प्रथम इनकार का अधिकार" संयुक्त उद्यम कंपनी को एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें संयुक्त उद्यम कंपनी भी भाग ले सकती है यदि वह नीचे दिए अनुसार अपने अधिकार का उपयोग करना चाहती है। यदि संयुक्त उद्यम कंपनी सफल बोलीदाता नहीं है, लेकिन उसकी बोली प्राप्त सबसे प्रतिस्पर्धी बोली के 10% के दायरे में है, तो संयुक्त उद्यम कंपनी को दूसरे हवाई अड्डे के लिए चयन मानदंडों के संदर्भ में पहली रैंक वाली बोली से मेल खाकर प्रथम इनकार का अधिकार होगा, बशर्ते कि संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रदर्शन अधिकार का उपयोग करने के समय किसी भी परियोजना समझौते के तहत बिना किसी गंभीर चूक के संतोषजनक हो।
- 3.4.2 पक्षकार एतद्वारा वचन देते हैं और सहमत होते हैं कि ऊपर खंड 3.4.1 के प्रावधान प्रभावी तिथि से तीस (30) वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो जाएंगे और पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं रहेंगे।

3.5 मास्टर प्लान समीक्षा

- 3.5.1 संयुक्त उद्यम कंपनी एतद्वारा ओएमडीए के निष्पादन की तिथि से छह (6) महीने की समाप्ति से पहले भारत सरकार को पहला मास्टर प्लान तैयार करने और सौंपने का वचन देती है और उसके बाद ओएमडीए की आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में और इसके अलावा नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार हर 10 साल में समय-समय पर इसे अद्यतन और पुनः जमा करेगी:
 - मास्टर प्लान एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकित यथार्थवादी यातायात पूर्वानुमानों पर आधारित होना चाहिए।
 - मास्टर प्लान के तहत विकास समयबद्ध तरीके से यातायात पूर्वानुमानों को पूरा करने वाला होना चाहिए।
 - मास्टर प्लान के तहत विकास, विकास मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए।
 - प्रारंभिक मास्टर प्लान महत्वपूर्ण रूप से प्रारंभिक विकास योजना के अनुरूप होना चाहिए और किसी भी भिन्नता के मामले में इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

- मास्टर प्लान हवाई अड्डे के अंतिम दृष्टिकोण के अनुरूप होना चाहिए और सभी संबंधित हवाई अड्डा उपयोगकर्ताओं और हितधारकों के पूर्ण परामर्श के साथ होना चाहिए।

परंतु शर्त यह है कि उपर्युक्त आवश्यकताओं के पूरा होने के अधीन, यदि संयुक्त उद्यम कंपनी पाती है कि यातायात की वृद्धि ऐसी है कि अधिक बार अद्यतन करने की आवश्यकता है, या एएआई या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अंतरालों पर यदि हवाई अड्डा यात्री क्षमता या कार्गो क्षमता तक पहुंच जाता है, तो मास्टर प्लान को छोटे अंतरालों पर अद्यतन किया जाएगा।

- 3.5.2 संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा खंड 3.5.1 के अनुसार भारत सरकार को मास्टर प्लान सौंपने के तीस (30) दिनों के भीतर, भारत सरकार मास्टर प्लान के संबंध में कोई भी टिप्पणी या सुझाव लिखित रूप में देगी यदि भारत सरकार को लगता है कि ऐसा मास्टर प्लान ओएमडीए के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या खंड 3.5.1 में निर्धारित मानदंड संतुष्ट नहीं हैं। यदि भारत सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी भी कारण से कोई टिप्पणी या सुझाव जमा नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि भारत सरकार की कोई टिप्पणी नहीं है और जमा किया गया मास्टर प्लान अंतिम माना जाएगा जो संयुक्त उद्यम कंपनी पर बाध्यकारी होगा।
- 3.5.3 यदि भारत सरकार खंड 3.5.2 के अनुसार मास्टर प्लान पर कोई टिप्पणी/सुझाव देती है, तो संयुक्त उद्यम कंपनी ऐसी टिप्पणियां प्राप्त करने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर भारत सरकार को एक संशोधित मास्टर प्लान सौंपेगी।
- 3.5.4 संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा खंड 3.5.3 के अनुसार संशोधित मास्टर प्लान पुनः सौंपने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर, भारत सरकार संशोधित मास्टर प्लान पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव प्रदान करेगी। यदि भारत सरकार निर्धारित समय के भीतर कोई टिप्पणी जमा नहीं करती है, तो संशोधित मास्टर प्लान को अंतिम मास्टर प्लान माना जाएगा।
- 3.5.5 यदि भारत सरकार संशोधित मास्टर प्लान पर कोई टिप्पणी/सुझाव देती है, तो संयुक्त उद्यम कंपनी पंद्रह (15) दिनों के भीतर अंतिम मास्टर प्लान सौंपेगी। जमा किया गया अंतिम मास्टर प्लान संयुक्त उद्यम कंपनी पर बाध्यकारी होगा।
- 3.5.6 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि इस खंड 3.5 में कुछ भी भारत सरकार द्वारा किसी भी मास्टर प्लान का अनुमोदन नहीं माना जाएगा। यह सुनिश्चित करना पूरी तरह से संयुक्त उद्यम कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि अंतिम मास्टर प्लान ओएमडीए और खंड 3.5.1 की आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में हो।

3.6 भारत सरकार की एजेंसियों के साथ सहमति पत्र

भारत सरकार एतद्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी और निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक सरकारी एजेंसी/विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निष्पादन को सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम प्रयास करने का वचन देती है:

1. सीमा शुल्क नियंत्रण;
2. आप्रवासन सेवाएं;
3. स्वास्थ्य सेवाएं;

4. पादप संगरोध सेवाएं; और
5. पशु संगरोध सेवाएं।

3.7 भारत सरकार की गारंटी

भारत सरकार एतद्वारा प्रभावी तिथि को या उससे पहले अनुसूची 7 में निर्धारित गारंटी संयुक्त उद्यम कंपनी को प्रदान करने का वचन देती है।

यहाँ दिए गए पाठ का पूर्ण एवं सटीक हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है:

3.8 प्रमुख विकास योजना समीक्षा (Major Development Plan Review)

3.8.1 संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) को प्रत्येक प्रमुख विकास या किसी भी ऐसे विकास के लिए, जिसकी पूंजीगत लागत 100,00,00,000/- रुपये (केवल एक सौ करोड़ रुपये) से अधिक होने की उम्मीद है, भारत सरकार को एक "**प्रमुख विकास योजना**" (**Major Development Plan**) तैयार करके सौंपनी होगी। प्रत्येक प्रमुख विकास योजना ओएमडीए (OMDA) और नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए:

- यह वर्तमान मास्टर प्लान के अनुसार होनी चाहिए।
- यह विकास मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करने वाली होनी चाहिए।
- यह सभी प्रासंगिक हितधारकों के साथ परामर्श के अधीन होनी चाहिए और वैमानिक विकास के मामले में, हवाई अड्डा उपयोगकर्ताओं के साथ पूर्ण परामर्श का विषय होनी चाहिए तथा उनकी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखने वाली होनी चाहिए।

3.8.2 पक्षकार स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि संयुक्त उद्यम कंपनी हवाई अड्डे पर (i) टर्मिनल भवनों; और (ii) समानांतर रनवे के डिजाइन, विकास और निर्माण से संबंधित अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं (प्रथम मास्टर प्लान से संबंधित) के लिए प्रमुख विकास योजनाएं तैयार करने का काम प्रथम मास्टर प्लान की तैयारी की शुरुआत के साथ ही शुरू करेगी। पक्षकार आगे स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि संयुक्त उद्यम कंपनी ओएमडीए के निष्पादन की तिथि से छह (6) महीने के भीतर (i) टर्मिनल भवनों; और (ii) समानांतर रनवे के डिजाइन, विकास और निर्माण से संबंधित प्रमुख विकास योजना जमा करेगी। संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा उपर्युक्त खंड 3.8.1 के अनुसार भारत सरकार को प्रमुख विकास योजना सौंपने के तीस (30) दिनों के भीतर, भारत सरकार संयुक्त उद्यम कंपनी को ऐसी प्रमुख विकास योजना के संबंध में लिखित रूप में कोई भी टिप्पणी या सुझाव प्रदान करेगी, जिस सीमा तक भारत सरकार को लगता है कि ऐसी प्रमुख विकास योजना ओएमडीए के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और/या खंड 3.8.1 में निर्धारित मानदंड संतुष्ट नहीं हैं। यदि भारत सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर इस खंड 3.8.2 के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख विकास योजना पर कोई टिप्पणी और/या सुझाव जमा नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि भारत सरकार की उस प्रमुख विकास योजना पर कोई टिप्पणी और/या सुझाव नहीं है और संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा जमा की गई प्रमुख विकास योजना को अंतिम प्रमुख विकास योजना माना जाएगा, जो संयुक्त उद्यम कंपनी पर बाध्यकारी होगी और ओएमडीए के

अनुसार उस विशेष विकास (जिसके लिए प्रमुख विकास योजना तैयार की गई थी) के विकास, संचालन और प्रबंधन को नियंत्रित करेगी।

3.8.3 यदि भारत सरकार उपर्युक्त खंड 3.8.2 के अनुसार प्रमुख विकास योजना पर कोई टिप्पणी और/या सुझाव प्रदान करती है, तो संयुक्त उद्यम कंपनी ऐसी टिप्पणियां या सुझाव प्राप्त करने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर भारत सरकार को एक संशोधित प्रमुख विकास योजना सौंपेगी, जिसमें भारत सरकार द्वारा सुझाए गए ऐसे बदलावों को शामिल किया जाएगा जिन्हें संयुक्त उद्यम कंपनी, अपने विवेक से, उचित समझती है।

3.8.4 संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा उपर्युक्त खंड 3.8.3 के अनुसार संशोधित प्रमुख विकास योजना पुनः प्रस्तुत करने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर, भारत सरकार संशोधित प्रमुख विकास योजना के संबंध में अपनी टिप्पणियां और/या सुझाव प्रदान करेगी, जिस सीमा तक भारत सरकार को लगता है कि ऐसी योजना ओएमडीए के प्रावधानों का उल्लंघन करती है या खंड 3.8.1 के मानदंड पूरे नहीं होते हैं। यदि भारत सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई टिप्पणी या सुझाव जमा नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि भारत सरकार की कोई टिप्पणी नहीं है और संशोधित प्रमुख विकास योजना को अंतिम माना जाएगा।

3.8.5 यदि भारत सरकार खंड 3.8.4 के अनुसार संशोधित प्रमुख विकास योजना पर कोई टिप्पणी/सुझाव प्रदान करती है, तो संयुक्त उद्यम कंपनी ऐसे सुझाव प्राप्त करने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर अंतिम प्रमुख विकास योजना प्रस्तुत करेगी। पक्षकार एतद्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रमुख विकास योजना उस पर बाध्यकारी होगी।

3.8.6 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, पक्षकार एतद्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि यह सुनिश्चित करना संयुक्त उद्यम कंपनी की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व होगा कि अंतिम प्रमुख विकास योजना ओएमडीए की आवश्यकताओं और खंड 3.8.1 के मानदंडों के पूर्ण अनुपालन में हो।

खंड 4: भारतीय रक्षा बल और सैन्य गतिविधियां

4.1 संयुक्त उद्यम कंपनी एतद्वारा यह वचन देती है और सहमत होती है कि भारतीय रक्षा बलों को हर समय किसी भी प्रकार के प्रतिबंध या बाधा के बिना, निःशुल्क हवाई अड्डे और हवाई अड्डे की सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा। उपर्युक्त की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपात स्थिति के समय हवाई क्षेत्र आवंटन, हवाई अड्डा बंद करने और रनवे उपयोग के संबंध में भारतीय रक्षा बलों के प्रति संयुक्त उद्यम कंपनी के दायित्व भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए जाएंगे; और आपात स्थिति के अलावा अन्य समय में रनवे उपयोग और हवाई क्षेत्र आवंटन के संबंध में संयुक्त उद्यम कंपनी के दायित्व भारत सरकार के साथ आपसी परामर्श और मौजूदा परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार होंगे, जिसके लिए संयुक्त उद्यम कंपनी को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। परंतु शर्त यह है कि भारतीय रक्षा बलों के अधिकार भारत सरकार द्वारा सूचना या परामर्श में देरी के कारण सीमित नहीं होंगे। आगे यह भी कि कोई स्थिति आपातकालीन है या नहीं, इसका निर्णय पूरी तरह से भारत सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा।

खंड 5: समन्वय समितियां

5.1 संयुक्त समन्वय समिति

- **5.1.1** भारत सरकार की सेवाओं को सुचारू और कुशल तरीके से प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार एक संयुक्त समन्वय समिति ("संयुक्त समन्वय समिति") गठित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रतिनिधि शामिल होंगे:
 1. संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रतिनिधि;
 2. सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि;
 3. आप्रवासन सेवाएं प्रतिनिधि;
 4. मौसम संबंधी सेवाएं प्रतिनिधि;
 5. सुरक्षा सेवाएं प्रतिनिधि;
 6. पादप संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि;
 7. पशु संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि;
 8. स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिनिधि; और
 9. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) प्रतिनिधि।
- **5.1.2** संयुक्त समन्वय समिति प्रभावी तिथि के तीस (30) दिनों के भीतर पहली बैठक करने के बाद, हवाई अड्डे पर प्रति तिमाही कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी।

5.2 हवाई अड्डा समन्वय समिति

5.2.1 हवाई अड्डे के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और भारत सरकार द्वारा नीतिगत मामलों एवं निर्णयों के संबंध में संयुक्त उद्यम कंपनी और भारत सरकार के बीच समन्वय की सुविधा के लिए, पक्षकार एक **हवाई अड्डा समन्वय समिति** गठित करने का वचन देते हैं, जिसमें शामिल होंगे:

1. संयुक्त उद्यम कंपनी प्रतिनिधि;
 2. राज्य सरकार प्रतिनिधि;
 3. भारत सरकार प्रतिनिधि; और
 4. एएआई प्रतिनिधि।
- **5.2.2** हवाई अड्डा समन्वय समिति आवश्यकतानुसार या किसी भी पक्ष के अनुरोध पर बैठकें आयोजित करेगी।

खंड 6: एएआई के अधिग्रहण/हस्तक्षेप के अधिकार

6.1 हवाई अड्डे का अधिग्रहण

- **6.1.1** पक्षकार एतद्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि भारत सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने की स्थिति में, एएआई को संयुक्त उद्यम कंपनी को कम से कम सात (7) दिनों का लिखित नोटिस देकर (या आपातकाल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कम समय के नोटिस पर), अपने विवेक से अधिकार होगा कि वह:

1. अस्थायी रूप से हवाई अड्डे का नियंत्रण (चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से) अपने हाथ में ले ले और आपातकाल के दौरान ओएमडीए के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार इसका संचालन और प्रबंधन करे; या
 2. संयुक्त उद्यम कंपनी से आपातकाल के दौरान भारत सरकार/एएआई के निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डे का प्रबंधन करने की अपेक्षा करे।
- 6.1.2 पक्षकार आगे स्वीकार करते हैं कि आपातकाल या उसके प्रभाव की समाप्ति के सात (7) दिनों के भीतर (या उचित समय के भीतर), भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगी कि हवाई अड्डा संयुक्त उद्यम कंपनी को ओएमडीए के अनुसार संचालित और प्रबंधित करने के लिए वापस सौंप दिया जाए।

खंड 7: अवधि और समाप्ति

7.1 खंड 2 के अधीन, यह समझौता प्रभावी तिथि से लागू होगा और ओएमडीए की पूरी अवधि ("अवधि") तक लागू रहेगा तथा ओएमडीए की अवधि के साथ ही समाप्त (co-terminus) होगा। स्पष्टता के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ओएमडीए की समाप्ति या समयपूर्व समाप्ति के साथ यह समझौता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा।

खंड 8: अप्रत्याशित घटना

8.1 कोई भी पक्षकार किसी अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के कारण अपने दायित्वों का पालन करने में असमर्थ होने की सीमा तक इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को निलंबित करने का हकदार होगा।

8.2 जहाँ कोई पक्षकार अप्रत्याशित घटना के कारण अपने दायित्वों के निलंबन का दावा कर रहा है, वह तुरंत, लेकिन घटना घटित होने के सात (7) दिनों के भीतर, दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित करेगा।

8.3 अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाला पक्ष इसके प्रभावों को कम करने के लिए उचित प्रयास करेगा। प्रभावित पक्ष अप्रत्याशित घटना के समाप्त होते ही दूसरे पक्ष को तुरंत सूचित करेगा और अपने दायित्वों का पालन फिर से शुरू करेगा।

8.4 अप्रत्याशित घटना के कारण जितने समय तक कार्य प्रभावित रहेगा, दायित्वों के पालन की समय सीमा को उतनी ही अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

8.5 यदि अप्रत्याशित घटना लगातार 365 दिनों की अवधि तक जारी रहती है, तो पक्षकार इसके परिणामों पर चर्चा करने और आगे की कार्रवाई तय करने के लिए बैठक करेंगे।

खंड 9: लागू कानून और विवाद समाधान

9.1 यह समझौता (खंड 9 सहित) भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित होगा।

9.2 पक्षकार सौहार्दपूर्ण परामर्श के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। यदि परामर्श शुरू होने के साथ (60) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो खंड 9.3 के प्रावधान लागू होंगे।

9.3 मध्यस्थता (Arbitration)

- 9.3.1 जो विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं हो सकते, उन्हें भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से हल किया जाएगा।
- 9.3.2 विवादों को तीन (3) मध्यस्थों के न्यायाधिकरण ("**मध्यस्थ न्यायाधिकरण**") को भेजा जाएगा। प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दो मध्यस्थ मिलकर तीसरे (पीठासीन) मध्यस्थ का चयन करेंगे। नियुक्ति में विफलता के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किए जाएंगे।
- 9.3.3 ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही नई दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी और सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।
- 9.3.4 मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 9.3.5 इस खंड 9 के अधीन, दिल्ली की अदालतों का इस समझौते पर क्षेत्राधिकार होगा।

खंड 10: कानून में परिवर्तन

10.1 संयुक्त उद्यम कंपनी कानून में परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने का वचन देती है।

10.2 यदि कानून में परिवर्तन के परिणामस्वरूप संयुक्त उद्यम कंपनी को हवाई अड्डे पर वैमानिक सेवाओं और परिसंपत्तियों के संचालन/विकास में प्रति वित्तीय वर्ष दस करोड़ रुपये (रु 10,00,00,000/-) से अधिक का वित्तीय बोझ या नुकसान उठाना पड़ता है, तो संयुक्त उद्यम कंपनी भारत सरकार को सूचित कर सकती है और ओएमडीए में संशोधनों का प्रस्ताव दे सकती है ("**संशोधन नोटिस**").

10.3 भारत सरकार संशोधन नोटिस प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करने के सभी उचित प्रयास करेगी कि एएआई प्रस्तावित संशोधनों पर सहमत हो।

10.4 यदि भारत सरकार 90 दिनों के भीतर एएआई से आवश्यक संशोधन कराने में असमर्थ रहती है, तो संयुक्त उद्यम कंपनी लिखित नोटिस द्वारा भारत सरकार से मुआवजा देने की मांग कर सकती है ("**मुआवजा नोटिस**").

10.5 भारत सरकार मुआवजा नोटिस और साक्ष्य प्राप्त होने के साथ (60) दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान करेगी। विवाद की स्थिति में इसका निपटारा विवाद समाधान तंत्र के अनुसार होगा।

10.6 यदि यह राशि हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से वसूल योग्य है, तो भारत सरकार पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

10.7 गैर-वैमानिक सेवाओं या गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के संबंध में कानून में परिवर्तन से हुए किसी भी नुकसान के लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

10.8 यदि कानून में परिवर्तन से संयुक्त उद्यम कंपनी को प्रति वित्तीय वर्ष दस करोड़ रुपये (रु. 10,00,00,000/-) से अधिक का वित्तीय लाभ होता है, तो वह भारत सरकार को सूचित करेगी और वह राशि भारत सरकार को प्रदान करेगी।

10.9 संयुक्त उद्यम कंपनी लाभ प्राप्त होने के साथ (60) दिनों के भीतर भुगतान करेगी।

खंड 11: दायित्व

11.1 पक्षकार एतद्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी दावों के संबंध में भारत सरकार का कुल दायित्व पचास करोड़ रुपये (रु. 50,00,00,000/-) से अधिक नहीं होगा।

खंड 12: विविध

12.1 नोटिस

12.1.1 इस समझौते के तहत आवश्यक कोई भी नोटिस लिखित रूप में होगा और व्यक्तिगत रूप से, पंजीकृत डाक द्वारा या फ़ैक्स द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा:

- **भारत सरकार (जीओआई):**
 - सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय
 - पता: राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली।
- **संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी):**
 - दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
 - चौथी मंजिल, बिड़ला टावर, 25, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110 001
 - फ़ैक्स नंबर: 91 11 23766352

12.1.2 कोई भी नोटिस अंग्रेजी भाषा में होगा और हाथ से सौंपे जाने पर तुरंत, या फ़ैक्स भेजने के अगले कार्य दिवस पर प्रभावी माना जाएगा।

12.2 पृथक्करणीयता

यदि इस समझौते का कोई प्रावधान अवैध या अमान्य घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधान पूरी तरह से वैध और लागू रहेंगे।

12.3 पूर्ण समझौता

यह समझौता, सभी अनुसूचियों और संलग्नकों के साथ, पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौते का प्रतिनिधित्व करता है और इससे पहले के सभी लिखित या मौखिक समझौतों का स्थान लेता है।

12.4 संशोधन

इस समझौते में कोई भी संशोधन लिखित में और दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही प्रभावी होगा।

12.5 समनुदेशन

कोई भी पक्ष इस समझौते या इसके तहत किसी भी अधिकार या दायित्व को स्थानांतरित (assign) नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि भारत सरकार एवजी समझौते (Substitution Agreement) के तहत चयनित संस्था के पक्ष में इसे स्थानांतरित करने पर सहमत होती है।

12.6 कोई साझेदारी नहीं

यह समझौता पक्षकारों के बीच साझेदारी का गठन नहीं करता है। किसी भी पक्ष के पास दूसरे पक्ष को एजेंट के रूप में बाध्य करने का अधिकार नहीं होगा।

12.7 अधिकार त्याग न होना

किसी अधिकार का प्रयोग करने में विफलता या देरी को अधिकार का त्याग (waiver) नहीं माना जाएगा।

12.8 द्विपक्षीय समझौते

भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों को सीमित किए बिना, सरकार जहाँ संभव हो, हवाई अड्डे को प्रभावित करने वाले सभी मौजूदा हवाई सेवा समझौतों का नवीनीकरण करने का प्रयास करेगी।

12.9 सत्यनिष्ठा

संयुक्त उद्यम कंपनी भारत सरकार को आश्वासन देती है कि इस समझौते में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई अनुचित फीस या कमीशन नहीं दिया गया है।

इसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों के माध्यम से ऊपर सबसे पहले लिखित दिन और वर्ष को इस समझौते को निष्पादित कराया है।

निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित:

भारत सरकार की ओर से और उनके लिए	साक्षी / गवाह द्वारा:
हस्ताक्षरित: _____	

भारत सरकार की ओर से और उनके लिए	साक्षी / गवाह द्वारा:
संयुक्त उद्यम कंपनी की ओर से और उनके लिए	साक्षी / गवाह द्वारा:
हस्ताक्षरित: _____	

अनुसूची 1: टैरिफ निर्धारण के सिद्धांत

पृष्ठभूमि (Background)

यदि भारत सरकार (जीओआई) के सभी उचित प्रयासों के बावजूद, पहली नियामक समीक्षा शुरू करने के लिए आवश्यक समय तक एईआरए (AERA - विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण) अस्तित्व में नहीं आता है, तो नागर विमानन मंत्रालय वैमानिक टैरिफ (aero tariff), उपयोगकर्ता शुल्क आदि को मंजूरी देने की भूमिका निभाना जारी रखेगा।

सिद्धांत (Principles)

अपनी भूमिका निभाते समय, AERA (लागू कानून के अधीन) निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेगा:

1. **प्रोत्साहन आधारित (Incentives Based):** संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) को कुशल तरीके से काम करने, परिचालन लागत को अनुकूलित करने, राजस्व को अधिकतम करने और कुशल, प्रभावी तथा समयबद्ध तरीके से निवेश करने के लिए उचित प्रोत्साहन दिए जाएंगे और इस उद्देश्य के लिए इस समझौते के अनुसार **मूल्य सीमा (price cap)** कार्यप्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
2. **वाणिज्यिक (Commercial):** मूल्य सीमा निर्धारित करते समय, AERA संयुक्त उद्यम कंपनी की कुशल परिचालन लागत को पूरा करने, इसके आर्थिक जीवन के दौरान पूंजी की वापसी प्राप्त करने और इसमें शामिल जोखिम के अनुरूप निवेश पर उचित रिटर्न प्राप्त करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने की आवश्यकता का ध्यान रखेगा।
3. **पारदर्शिता (Transparency):** आर्थिक नियमन का दृष्टिकोण पूरी तरह से दस्तावेज-बद्ध होगा और सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध होगा। हवाई अड्डे और प्रमुख हितधारक AERA को अपने प्रतिवेदन/सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे और सभी निर्णय पूरी तरह से प्रलेखित और स्पष्ट किए जाएंगे।
4. **निरंतरता/संगतता (Consistency):** प्रत्येक नियामक समीक्षा अवधि में मूल्य निर्धारण के निर्णय अंतर्निहित सिद्धांतों के संदर्भ में एक सुसंगत दृष्टिकोण के अनुसार किए जाएंगे।
5. **आर्थिक दक्षता (Economic Efficiency):** मूल्य नियमन केवल उन्हीं क्षेत्रों में होना चाहिए जहाँ एकाधिकार शक्ति का प्रयोग किया जाता है, न कि जहाँ एक प्रतिस्पर्धी या खुला बाज़ार संचालित होता है; इसलिए इसे केवल **वैमानिक सेवाओं (Aeronautical Services)** पर लागू होना चाहिए। इसके अलावा, वैमानिक सेवाओं के विनियमन के संबंध में, मूल्य निर्धारण विनियमन के दृष्टिकोण को आर्थिक दक्षता को प्रोत्साहित करना चाहिए और केवल कुशल लागतों की वसूली की अनुमति देनी चाहिए, जो कि एएआई (एएआई) से संचालन सहायता के लिए पहले तीन वर्षों की व्यवस्थाओं जैसे लगाए गए प्रतिबंधों की स्वीकृति के अधीन हो।
6. **स्वतंत्रता (Independence):** AERA भारत सरकार द्वारा चिह्नित क्षेत्रों पर भारत सरकार के नीतिगत निर्देशों के अधीन स्वतंत्र और स्वायत्त तरीके से काम करेगा।

7. **सेवा गुणवत्ता (Service Quality):** अपनी भूमिका निभाते समय, AERA संचालन प्रबंधन विकास समझौते (OMDA) में परिभाषित और समय-समय पर संशोधित सेवा गुणवत्ता प्रदर्शन के संबंध में पूर्व-निर्धारित प्रदर्शन की निगरानी करेगा।
8. **मास्टर प्लान और प्रमुख विकास योजनाएं (Master Plan and Major Development Plans):** AERA भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गई और टिप्पणी की गई मास्टर प्लान और प्रमुख विकास योजनाओं को स्वीकार करेगा और विकास के दृष्टिकोण पर सवाल उठाने या बदलने का प्रयास नहीं करेगा यदि यह इन योजनाओं के अनुरूप है। हालांकि, AERA के पास पूंजीगत व्यय की दक्षता का आकलन करने का अधिकार होगा।
9. **परामर्श (Consultation):** संयुक्त उद्यम कंपनी को नियोजित प्रमुख हवाई अड्डा विकास के संबंध में संबंधित प्रमुख हवाई अड्डा उपयोगकर्ताओं के विचारों पर परामर्श करने और उन्हें उचित महत्व देने की आवश्यकता होगी।
10. **मूल्य निर्धारण उत्तरदायित्व (Pricing responsibility):** समग्र मूल्य सीमा के भीतर जेवीसी इन मूल्य निर्धारण सिद्धांतों और IATA मूल्य निर्धारण सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप होने के अधीन शुल्क लगाने में सक्षम होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - (i) **लागत परावर्तकता (Cost reflectivity):** जेवीसी द्वारा लगाया गया कोई भी शुल्क उपयोगकर्ताओं के बीच इस तरह से आवंटित किया जाना चाहिए जो पूरी तरह से लागत-परावर्तक हो और हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित हो;
 - (ii) **गैर-भेदभावपूर्ण (Non discriminatory):** जेवीसी द्वारा लगाए गए शुल्क उपयोगकर्ताओं के समान वर्ग के भीतर गैर-भेदभावपूर्ण होने चाहिए;
 - (iii) **सुरक्षा (Safety):** शुल्क इस तरह से नहीं लगाए जाने चाहिए जिससे सुरक्षा के लिए आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं के उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके;
 - (iv) **उपयोग (Usage):** सामान्य तौर पर, विमान ऑपरेटरों, यात्रियों और अन्य उपयोगकर्ताओं से उन सुविधाओं और सेवाओं के लिए शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए जिनका वे उपयोग नहीं करते हैं।

शेयर्ड टिल इन्फ्लेशन – X प्राइस कैप मॉडल में वैमानिक शुल्कों की गणना

लक्ष्य राजस्व (Target Revenue) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

$$TR_i = RB_i \times WACC_i + OM_i + Di + Ti - Si$$

जहाँ:

- \$TR\$ = लक्ष्य राजस्व (Target Revenue)
- \$RB\$ = वैमानिक परिसंपत्तियों और आरक्षित गतिविधियों आदि के निष्पादन के लिए किए गए किसी भी निवेश से संबंधित **नियामक आधार (Regulatory Base)**, जो जेवीसी के स्वामित्व में हैं, कुशल पूंजीगत व्यय को शामिल करने के बाद, लेकिन इसमें अचल संपत्तियों में पूंजीकृत न की गई सीमा तक प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (capital work in progress) शामिल नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यशील पूंजी

(working capital) को नियामक आधार के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। ओएमडीए के प्रावधानों के अनुसार लगाए गए दंड और परिसमाप्त नुकसान (Liquidated Damages), यदि कोई हों, को नियामक आधार में पूंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। सफल बोलीदाता द्वारा बोली की तैयारी के लिए दी गई अग्रिम फीस (Upfront Fee) और कोई भी पूर्व-परिचालन व्यय को नियामक आधार में पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- $\$WACC\$$ = कॉर्पोरेट कर की सीमांत दर का उपयोग करके गणना की गई नाममात्र कर-पश्चात भारित औसत पूंजी लागत (nominal post-tax weighted average cost of capital)।
- $\$OM\$$ = वैमानिक सेवाओं से संबंधित कुशल संचालन और रखरखाव लागत (efficient operation and maintenance cost)। ओएमडीए के प्रावधानों के अनुसार लगाए गए दंड और परिसमाप्त नुकसान को संचालन और रखरखाव लागत के हिस्से के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।
- $\$D\$$ = भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित तरीके से गणना किया गया मूल्यहास (Depreciation)। यदि उक्त अधिनियम में कुछ संपत्तियों के लिए मूल्यहास दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी संपत्ति के लिए आयकर अधिनियम में प्रदान की गई दरों पर विचार किया जाएगा (अपलिखित मूल्य पद्धति से सीधी रेखा पद्धति में परिवर्तित करके)। यदि दोनों में से किसी भी अधिनियम में ऐसी दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखा मानकों के अनुसार मूल्यहास दरों पर विचार किया जा सकता है।
- $\$T\$$ = वैमानिक सेवाओं से संबंधित आय पर कॉर्पोरेट कर।
- $\$S\$$ = राजस्व शेयर परिसंपत्तियों से जेवीसी द्वारा उत्पन्न सकल राजस्व का 30%। ऐसे राजस्व के संबंध में लागत को वैमानिक शुल्क की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा।

"राजस्व शेयर परिसंपत्तियां" (Revenue Share Assets) का अर्थ होगा: (a) गैर-वैमानिक परिसंपत्तियां; और (b) हवाई अड्डे पर उत्पन्न होने वाली वैमानिक संबंधी सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक परिसंपत्तियां जिन्हें गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व में शामिल नहीं किया गया है (जैसे सार्वजनिक प्रवेश शुल्क आदि)।

- $\$i\$$ = समयावधि (वर्ष) $\$i\$$

$RB_i = RB_{i-1} - D_i + I_i$ **जहाँ:** प्रथम नियामक अवधि के लिए $\$RB_0\$$ निम्नलिखित का कुल योग होगा:

1. जेवीसी की पुस्तकों में वैमानिक परिसंपत्तियों का बही मूल्य (Book Value), और
 2. ऐसी गणना की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान हवाई अड्डे पर वैमानिक सेवाओं से संबंधित तत्कालीन प्रचलित टैरिफ, राजस्व, संचालन और रखरखाव लागत, एवं कॉर्पोरेट कर का उपयोग करके गणना की गई काल्पनिक नियामक आधार (hypothetical regulatory base)।
- $\$I\$$ = अवधि में किया गया निवेश।

X कारक (factor) का निर्धारण उस X कारक की गणना करके किया जाता है जो नियामक अवधि के दौरान लक्ष्य राजस्व के वर्तमान मूल्य (present value) को उस वर्तमान मूल्य के बराबर बनाता है जो प्रारंभिक औसत वैमानिक शुल्क के आधार पर मूल्य पथ (price path) के साथ अनुमानित ट्रेफ़िक मात्रा लागू करने से प्राप्त होता है, जो प्रत्येक वर्ष के लिए $CPI - X$ द्वारा बढ़ाया जाता है। अर्थात्, X के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल किया जाता है:

$$\sum_{i=1}^n \frac{RB_i \times WACC_i + OM_i + D_i + T_i - S_i}{(1 + WACC_i)^i} = \sum_{i=1}^n \frac{\sum_{j=1}^m \frac{AC_{i,j}}{T_{i,j}}}{(1 + WACC_i)^i}$$

जहाँ:

- $AC_{i,j}$ = i -वें वर्ष में वैमानिक राजस्व की j -वीं श्रेणी के लिए औसत वैमानिक शुल्क
- $T_{i,j}$ = i -वें वर्ष में वैमानिक यातायात की j -वीं श्रेणी की मात्रा
- X = वृद्धि कारक (escalation factor)
- n = नियामक अवधि में विचार किए गए वर्षों की संख्या
- m = वैमानिक राजस्व की श्रेणियों की संख्या (जैसे लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क, हाउसिंग शुल्क, सुविधा घटक आदि)

एक विशेष वर्ष ' i ' में वैमानिक राजस्व की एक विशेष श्रेणी ' j ' के लिए अधिकतम औसत वैमानिक शुल्क (प्राइस कैप) की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाती है:

$$AC_i = AC_{i-1} \times (1 + CPI - X)$$

जहाँ:

- CPI = नियामक अवधि के दौरान अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) में परिवर्तन द्वारा मापी गई औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दर।

मूल्य सीमा दृष्टिकोण का सांकेतिक संख्यात्मक उदाहरण

वैमानिक शुल्कों की गणना की कार्यप्रणाली को दर्शाने वाला एक संकेतिक संख्यात्मक उदाहरण निम्नलिखित है। यह केवल एक उदाहरण है और आवश्यक नहीं कि AERA या भारत सरकार द्वारा इसका सटीक पालन किया जाए।

मान्यताएं (Assumptions)

AirportCo निम्नलिखित मापदंडों वाली एक हवाई अड्डा कंपनी है:

- मौजूदा विनियमित संपत्ति आधार (Regulated Asset Base) = \$500m

- वैमानिक सेवाओं के लिए शुद्ध कार्यशील पूंजी = शून्य
- मौजूदा वैमानिक राजस्व = \$67m
- विनियमित टिल में साझा किया गया वैमानिक संबंधित राजस्व = 30%
- मौजूदा टैफ़िक मात्रा = 48 मिलियन यात्री (वैमानिक शुल्क केवल प्रति यात्री आधार पर)
- कर-पश्चात नाममात्र WACC = 7.0%
- कर-पूर्व ऋण लागत (Pre-tax cost of debt) = 4.0%
- नियामक आधार के वित्तपोषण के लिए ऋण-इक्विटी अनुपात = 2:1
- CPI आधारित मुद्रास्फीति = 3.0%
- मौजूदा विनियमित संपत्तियों की बही अवधि (Book life) = 32.5 वर्ष
- नए विनियमित पूंजीगत व्यय की बही अवधि = 35 वर्ष
- कॉर्पोरेट कर की दर = 10% (भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार वैमानिक सेवाओं से कमाई पर लागू)

चरण 2: वृद्धि कारक (Escalation Factors) निर्धारित करें

□□□□□ (\$m □□□)	2003	2004	2005	2006	2007	2008
EBIT – Tax		37	39	42	44	45
□□□□□ : □□□□□ (Interest)		14	14	15	16	17
PAT		23	25	26	28	28
□□□□□□ : □□ (Tax)		3	3	3	3	3
□□□□□□ : □□□□□ (Interest)		14	14	15	16	17
□□□□□□ : □□□□□□□□□□ (Depreciation)		16	17	19	20	22
EBITDA		55	59	64	67	70
□□□□□□ : ओ एंड एम □□□□		20	22	24	26	28
घटाएं: वैमानिक संबंधित राजस्व का हिस्सा		10	10	11	12	13
लक्ष्य राजस्व आवश्यकता		66	71	77	82	85

□□□□□ (\$m □□□)	2003	2004	2005	2006	2007	2008
डिस्काउंटेड लक्ष्य राजस्व आवश्यकता		61	62	62	62	61
वृद्धि कारक पर आधारित राजस्व	67	70	73	76	79	81
वृद्धि कारक पर आधारित डिस्काउंटेड राजस्व	65	64	62	60	58	
सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति (%)		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सीपीआई – x पर आधारित नाममात्र वैमानिक टैरिफ का सूचकांक	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

- एनपीवी की गणना के लिए प्रयुक्त कर-पश्चात नाममात्र डब्लूएसीसी: 7.00%
- लक्ष्य राजस्व का एनपीवी: 309
- वृद्धि कारक पर आधारित अपेक्षित राजस्व का एनपीवी: 309
- एनपीवी में अंतर: 0.00
- एक्स कारक (X factor): + 2.89%

पांच साल की नियामक अवधि में इस संख्यात्मक उदाहरण के लिए **एक्स कारक (X factor)** की गणना + 2.89% की गई है।

यहाँ दिए गए अनुबंध दस्तावेज़ (अनुसूची 2 से अनुसूची 7 का प्रारंभिक भाग) का पूर्ण एवं सटीक हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है:

अनुसूची 2: सीमा शुल्क नियंत्रण (CUSTOMS CONTROL)

कार्य:

- वॉकथ्रू चैनल पर सीमा शुल्क नियंत्रण
- ग्रीन / रेड चैनल में सामान परीक्षा काउंटरों पर सीमा शुल्क नियंत्रण
- बैगेज हॉल के भीतर बैगेज सहायक / उप आयुक्त की सेवाओं का प्रावधान
- रोके गए सामान (detained goods) के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण
- गलत तरीके से संभाले गए सामान (mis-handled baggage) के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण
- कीमती सामानों (valuables) के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण
- पुनः प्रेषण सामान (re-shipment goods) के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण
- जप्त सामान (confiscated goods) के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण
- निकास द्वार (Exit Gate) के पास गेट अधिकारी द्वारा तैनाती
- निर्यात प्रमाणपत्र (Export Certificate) जारी करना
- सीमा शुल्क के कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों की सेवाएं
 - वायु आसूचना इकाई (Air Intelligence Unit)

अनुसूची 3: पादप संरक्षण एवं संगरोध सेवाएं (PLANT PROTECTION AND QUARANTINE SERVICES)

नियामक कार्य:

- (a) विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए आयातित कृषि वस्तुओं का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और निष्कासन (release)
- (b) निर्यात के लिए लक्षित कृषि वस्तुओं का दृश्य परीक्षण और उपचार
- (c) निर्यात के लिए लक्षित कृषि वस्तुओं हेतु पादप-स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Phyto-Sanitary Certificate) जारी करना
- (d) आयातित लकड़ी की पैकेजिंग सामग्री का निरीक्षण और उपचार
- (e) प्रवेशोत्तर संगरोध निरीक्षण (Post entry quarantine inspection)
- (f) कृषि वस्तुओं का धूमीकरण/कीट-मुक्ति/विसंक्रमण (Fumigation/disinfestations/disinfection)

ये कार्य **विनाशकारी कीट एवं रोग अधिनियम, 1914 (Destructive Insects & Pest Act, 1914)** तथा **पादप संगरोध (भारत में आयात का नियमन) आदेश, 2003** और इसके संशोधनों के तहत निष्पादित किए जाते हैं, ताकि देश में विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश के जोखिम को कम किया जा सके जिससे भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रथाएं **अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन (International Plant Protection Convention)** के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं और **डब्ल्यूटीओ (WTO)** के **सेनेटरी और फाइटो-सेनेटरी समझौते** के तहत मान्यता प्राप्त हैं।

अनुसूची 4: पशु संगरोध सेवाएं (ANIMAL QUARANTINE SERVICES)

नियामक कार्य:

आगमन से पहले:

- पशु के आयात के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, सभी शेडों और फ्रीड स्टोव को उपयुक्त रोगाणुनाशकों से अच्छी तरह से साफ, रोगाणुरहित और धूमीकृत (fumigated) किया जाता है।
- सभी पशुओं को विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के लिए मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार एक उपयुक्त पशु वाहक में ले जाया जाता है।
- पशुओं के आगमन की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पशु वाहक को ठीक से रोगाणुरहित किया जाता है।
- आवश्यक नमूने एकत्र करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

प्रवेश बिंदु पर आगमन पर:

- आगमन के दिन और आयातकर्ता के साथ तय समय पर, क्षेत्रीय/संगरोध अधिकारी और अन्य कर्मचारी हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं।
- पशु या उत्पादों की शारीरिक रूप से पूरी तरह से जांच की जाती है।
- निर्दिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए पशुओं या उत्पादों के साथ आने वाले पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र की पूरी तरह से जांच की जाती है।
- यह सुनिश्चित करने के बाद कि पशु नैदानिक रूप से स्वस्थ हैं और खेप के साथ आने वाले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सही हैं, सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात करने वाली एजेंसी को मामले के आधार पर **अस्थायी संगरोध मंजूरी प्रमाण पत्र (आयात)** या **पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (आयात)** जारी किया जाता है।
- आयातित जीवित पशुओं को क्षेत्रीय/संगरोध अधिकारी की देखरेख में संगरोध स्टेशन (quarantine station) लाया जाता है।
- पशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी के लिए उन्हें 30 दिनों के लिए या भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट अनुसार संगरोध में रखा जाता है।
- पशुधन उत्पादों के मामले में, सेनेटरी आयात परमिट में दी गई शर्तों के अनुसार प्रतिनिधि नमूने लिए जाएंगे और संबंधित प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण किया जाएगा।

अनुसूची 5: स्वास्थ्य सेवाएं (HEALTH SERVICES)

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के दायित्व:

1. पक्षकार एतद्वारा दर्ज करते हैं कि DGHS का इरादा हवाई अड्डा टर्मिनल पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने और निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने का प्रयास करना है (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "**स्वास्थ्य सेवाएं**" कहा जाएगा) :
 - (a) यात्रियों, आगंतुकों, एयरलाइन कर्मचारियों, एएआई के कर्मचारियों और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के कर्मियों के लाभ के लिए दिन के सभी समय हवाई अड्डा टर्मिनल और कार्गो कॉम्प्लेक्स में चिकित्सा सुविधाएं।
 - (b) DGHS द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार हवाई अड्डा टर्मिनल पर तैनात किए जाने वाले चिकित्सा अधिकारी और अन्य DGHS कर्मी।

- (c) DGHS समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगा और हवाई अड्डे पर/आस-पास चिकित्सा सुविधाओं का समय तय करेगा।
 - (d) DGHS हवाई अड्डे पर ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जा सकता है।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि DGHS उपर्युक्त खंड 1 में उल्लिखित सभी या किसी भी स्वास्थ्य सेवा और/या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो जेवीसी के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं होगी। ऐसी किसी भी देनदारी का एतद्वारा स्पष्ट रूप से खंडन किया जाता है। जेवीसी एतद्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि खंड 1 में उल्लिखित किसी भी स्वास्थ्य सेवा या सुविधाओं के न मिलने या आंशिक रूप से मिलने पर उसके पास DGHS या किसी अन्य सरकारी निकाय के खिलाफ कोई कानूनी सहारा नहीं होगा।

अनुसूची 6: वैमानिक शुल्क (AERONAUTICAL CHARGES)

इस समझौते के उद्देश्यों के लिए वैमानिक शुल्क नीचे दिए गए तरीके से निर्धारित किए जाएंगे:

1. मौजूदा एएआई हवाई अड्डा शुल्क (जैसा कि अनुसूची 8 में दिया गया है) ("**आधार हवाई अड्डा शुल्क**") प्रभावी तिथि से दो (2) वर्षों की अवधि के लिए जारी रहेंगे। यदि जेवीसी प्रभावी तिथि से पहले दो (2) वर्षों के दौरान आवश्यक अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा और चालू कर देती है, तो प्रभावी तिथि के बाद तीसरे (3rd) वर्ष की अवधि के लिए वैमानिक शुल्कों की गणना के उद्देश्य से आधार हवाई अड्डा शुल्क पर **दस (10) प्रतिशत की नाममात्र वृद्धि** की अनुमति दी जाएगी ("**प्रोत्साहन**"). यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि जेवीसी प्रभावी तिथि से दूसरे वर्ष के अंत तक आवश्यक अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं को पूरा और चालू नहीं करती है, तो तीसरे वर्ष के लिए यह प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा।
2. प्रभावी तिथि के बाद चौथे (4th) वर्ष की शुरुआत से और उसके बाद की पूरी अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए, आर्थिक नियामक प्राधिकरण / भारत सरकार (जैसा भी मामला हो) इस समझौते से जुड़ी अनुसूची 1 के साथ पढ़े गए खंड 3.1.1 के अनुसार वैमानिक शुल्क निर्धारित करेगी। यह हमेशा इस शर्त के अधीन होगा कि चौथे वर्ष की शुरुआत के बाद और शेष अवधि में किसी भी वर्ष में वैमानिक शुल्क की गणना के उद्देश्य से जेवीसी के लिए आधार हवाई अड्डा शुल्क का कम से कम **दस (10) प्रतिशत की अनुमत नाममात्र वृद्धि** उपलब्ध होगी।
3. स्पष्टता के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि एएआई प्रभावी तिथि से पहले दो (2) वर्षों के दौरान किसी भी समय हवाई अड्डा शुल्कों (जैसा कि एएआई की वेबसाइट www.airportsindia.org पर उपलब्ध है) में वृद्धि करता है, तो ऐसी वृद्धि पर जेवीसी द्वारा प्रभार्य वैमानिक शुल्कों की गणना या संशोधन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूची 7: [भारत सरकार की गारंटी का प्रारूप]

गारंटी का यह विलेख (यह "गारंटी") दिल्ली में _____ के _____ दिन निष्पादित किया गया है:

भारत के राष्ट्रपति, _____ के माध्यम से कार्य करते हुए (इन्हें आगे "गारंटीकर्ता" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उनके वारिस, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे);

के पक्ष में:

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली में है (इन्हें आगे "जेवीसी" कहा गया है- जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिनी और एव्जी समझौते के तहत परिभाषित चयनकर्ता शामिल माने जाएंगे)।

गारंटीकर्ता और जेवीसी को आगे सामूहिक रूप से "**पक्षकार**" और व्यक्तिगत रूप से "**पक्ष**" कहा गया है।

चूंकि:

- (A) जेवीसी एक विशेष उद्देश्य वाहन कंपनी (SPV) है जो अन्य बातों के साथ-साथ हवाई अड्डे के संचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन के उद्देश्यों से गठित की गई है।
- (B) जेवीसी ने जेवीसी द्वारा हवाई अड्डे के संचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("**प्राधिकरण**") के साथ दिनांक 04.04.2006 को एक संचालन, प्रबंधन और विकास समझौता ("**OMDA**") किया है।
- (C) जेवीसी और भारत सरकार ("**जीओआई**") ने दिनांक [दर्ज करें] को राज्य सहायता समझौते ("**SSA**") में प्रवेश किया है।
- (D) SSA के खंड 3.7 के तहत, जीओआई OMDA की समाप्ति या समाप्ति पर हस्तांतरण संपत्तियों और गैर-हस्तांतरण संपत्तियों की खरीद के संबंध में जेवीसी को भुगतान करने के प्राधिकरण के दायित्वों के संबंध में एक गारंटी प्रस्तुत करने पर सहमत हुआ है ("**हस्तांतरण भुगतान**")।
- (E) तदनुसार, पक्षकार इस गारंटी के नियमों और शर्तों को दर्ज करने के लिए इस दस्तावेज़ में प्रवेश कर रहे हैं।

अब एतद्वारा निम्नानुसार सहमति बनी है:

1. परिभाषा एवं व्याख्या (DEFINITION & INTERPRETATION)

- **1.1 परिभाषाएं (Definition):** इस गारंटी में उपयोग किए गए और यहाँ परिभाषित न किए गए लेकिन OMDA में परिभाषित बड़े अक्षरों वाले शब्दों और संक्षिप्त रूपों का वही अर्थ होगा जो संदर्भ के विपरीत न होने पर, उन्हें OMDA में सौंपा गया है।
- **1.2 व्याख्या (Interpretation):** इस गारंटी में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (i) एकवचन के संदर्भ में बहुवचन का संदर्भ और इसके विपरीत शामिल होगा; तथा किसी भी लिंग के संदर्भ में अन्य लिंग का संदर्भ शामिल होगा।
- (ii) किसी भी अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, अनुलग्नक या संलग्नक का संदर्भ इस गारंटी के अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, अनुलग्नक या संलग्नक से होगा।
- (iii) परिशिष्ट, अनुसूची, अनुलग्नक और संलग्नक इस गारंटी का एक अभिन्न अंग हैं। खंडों के किसी प्रावधान और परिशिष्टों, अनुसूचियों, अनुलग्नकों या संलग्नकों के किसी प्रावधान के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, खंडों का प्रावधान मान्य होगा।
- (iv) कानून या कानून का बल रखने वाले विनियमन का संदर्भ समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित, पूरक, विस्तारित या पुनर्मूल्यांकन किए गए कानून या विनियमन का संदर्भ शामिल करता है।
- (v) समय का कोई भी संदर्भ, जहाँ संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, भारत में समय का संदर्भ माना जाएगा। कैलेंडर का कोई भी संदर्भ ग्रेगोरियन कैलेंडर का संदर्भ माना जाएगा।
- (vi) इस गारंटी में अनुच्छेदों, खंडों, परिशिष्टों, अनुसूचियों, अनुलग्नकों और संलग्नकों के शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए डाले गए हैं और वे इस गारंटी के अर्थ या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।
- (vii) "शामिल" या "जिसमें शामिल है" शब्दों के बाद "बिना किसी सीमा के" या "लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं" माना जाएगा, चाहे उनके बाद ऐसे वाक्यांश हों या न हों।
- (viii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, संदर्भित समय की कोई भी अवधि ऐसी अवधि की अंतिम तिथि के अंत में समाप्त मानी जाएगी।
- (ix) यदि खंड 1 में कोई प्रावधान किसी पक्ष पर अधिकार प्रदान करने या दायित्वों को लागू करने वाला एक वास्तविक प्रावधान है, तो उसे लागू किया जाएगा मानो यह इस गारंटी के मुख्य भाग में एक मुख्य प्रावधान हो।
- (x) निर्माण का नियम (यदि कोई हो), कि किसी अनुबंध की व्याख्या उसका प्रारूप तैयार करने और बनाने के लिए जिम्मेदार पक्षकारों के विरुद्ध की जानी चाहिए, लागू नहीं होगा।
- (xi) समझौतों, दस्तावेजों या अन्य साधनों के सभी संदर्भों में (सभी प्रासंगिक अनुमोदनों के अधीन) समय-समय पर संशोधित, पूरक, परिवर्तित, प्रतिस्थापित, नवीनीकृत या स्थानांतरित किए गए समझौते, दस्तावेज़ या साधन का संदर्भ शामिल है।

यहाँ दिए गए अनुबंध भाग (खंड 2 से खंड 13) का पूर्ण और सटीक हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है:

2. गारंटी

2.1 गारंटीकर्ता एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से यह वचन देता है कि यदि प्राधिकरण (Authority) हस्तांतरण तिथि (Transfer Date) से छह (6) महीने की अवधि के भीतर OMDA

के तहत देय हस्तांतरण भुगतान (Transfer Payments) या उसके किसी भी भाग का जेवीसी (इसके उत्तराधिकारियों और अनुमत एवजी संस्थाओं सहित) को भुगतान करने में विफल रहता है, तो गारंटीकर्ता इस गारंटी के अनुसार जेवीसी से भुगतान की मांग (खंड 2.3 के तहत निर्धारित सभी जानकारी के साथ) प्राप्त होने की तिथि के साथ (60) दिनों के भीतर जेवीसी को प्राधिकरण द्वारा देय निर्विवाद राशि का भुगतान करेगा। इसके साथ ही हस्तांतरण तिथि के छह महीने बाद से भुगतान की तिथि तक **भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम लैंडिंग दर (SBI PLR)** के बराबर दर पर दैनिक शेष राशि के आधार पर गणना किया गया ब्याज भी देगा। हालांकि यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

- (a) इक्विटी के लिए गारंटी परिसंपत्ति की इक्विटी के बही मूल्य (book value) तक सीमित होगी।
- (b) गारंटी या तो एक मौद्रिक सीमा (monetary cap) या थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि द्वारा बढ़ाई गई कुल परियोजना की मूल्यहास लागत (depreciated cost) या वित्तीय समापन (financial close) पर ऋण या कमीशनिंग के समय ऋण, जो भी कम हो, तक सीमित होगी ("**गारंटीकृत भुगतान**").

स्पष्टता के लिए यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि जीओआई जेवीसी को गारंटीकृत भुगतान से अधिक किसी भी हस्तांतरण भुगतान या उस पर देय ब्याज के संबंध में भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए प्रावधानों से इतर उन्नयन या नवीनीकरण के लिए भविष्य में लिया गया ऋण सामान्य व्यावसायिक उद्यम का हिस्सा माना जाएगा और गारंटीकर्ता द्वारा उसकी गारंटी नहीं दी जाएगी।

2.2 पक्षकार एतद्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि जीओआई, जेवीसी को प्राधिकरण से देय किसी भी हस्तांतरण भुगतान (या उसके किसी भाग) और/या उस पर देय ब्याज के केवल **निर्विवाद हिस्से** का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। स्पष्टता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ हस्तांतरण भुगतान या उस पर देय ब्याज एएआई या किसी तीसरे पक्ष द्वारा विवादित है ("**विवादित राशि**"), वहाँ जीओआई तब तक इस गारंटी के अनुसार ऐसी किसी भी विवादित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि विवाद का अंतिम रूप से समाधान और निपटारा न हो जाए।

2.3 जेवीसी भुगतान की मांग के साथ गारंटीकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करेगा:

- (a) प्राधिकरण पर हस्तांतरण भुगतान (या उसके किसी भाग) की मांग की एक प्रति;
- (b) जेवीसी द्वारा विधिवत प्रमाणित ऐसी मांग के उचित विवरण;
- (c) OMDA के समयपूर्व समापन या OMDA की समाप्ति का उचित विवरण;
- (d) हस्तांतरण भुगतान की सीमा का विवरण; और
- (e) जेवीसी का एक प्रमाण पत्र (प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित) जिसमें यह कहा गया हो कि उक्त हस्तांतरण भुगतान (या उसका कोई भाग) अवैतनिक है, सही ढंग से गणना किया गया है और निर्विवाद है।

2.4 गारंटीकर्ता द्वारा इस गारंटी के तहत जेवीसी को देय हस्तांतरण भुगतान (या उसके किसी भाग) और उस पर ब्याज का भुगतान किए जाने पर, प्राधिकरण से ऐसी राशियों का दावा

और वसूली करने का जेवीसी का अधिकार उस भुगतान की सीमा तक तुरंत समाप्त हो जाएगा। परंतु शर्त यह है कि ऐसी स्थिति में, गारंटीकर्ता के पास उस राशि के लिए लेनदार (creditor) के रूप में एआई के खिलाफ दावा करने का अधिकार होगा।

3. समनुदेशन

3.1 जेवीसी गारंटीकर्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना इसके तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्वों को समनुदिष्ट (assign) या स्थानांतरित नहीं करेगा।

4. गारंटी की अवधि

4.1 यह गारंटी निम्नलिखित घटनाओं में से जो भी सबसे पहले घटेगी, उस पर समाप्त हो जाएगी:

- (a) OMDA की समाप्ति या समयपूर्व समाप्ति पर, प्राधिकरण द्वारा जेवीसी को OMDA के तहत देय हस्तांतरण भुगतान का भुगतान किए जाने पर; या
- (b) इस गारंटी के खंड 2.1 के तहत गारंटीकर्ता द्वारा हस्तांतरण भुगतान (या उसके भाग) और ब्याज (यदि कोई हो) के संवितरण पर; या
- (c) जब तक कि इस गारंटी की वैधता को गारंटीकर्ता द्वारा ऐसी अवधि के लिए लिखित रूप में न बढ़ाया जाए जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए, हस्तांतरण तिथि से छह (6) महीने पूरे होने के बाद साठ (60) दिनों के भीतर जेवीसी द्वारा गारंटीकर्ता से हस्तांतरण भुगतान के भुगतान के लिए (खंड 2.1 के तहत निर्धारित) कोई मांग न करने की स्थिति में; या
- (d) [हवाई अड्डे के संबंध में पहले वित्तीय समापन के अनुसार जेवीसी द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत ऋणदाताओं द्वारा शुरू में सहमत समय की समाप्ति पर]।

4.2 इस गारंटी की समाप्ति पर, यह समाप्त मानी जाएगी और इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तथा गारंटीकर्ता को गारंटी के तहत सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा; हालांकि यह शर्त है कि इस गारंटी की समाप्ति से गारंटीकर्ता की इस गारंटी की समाप्ति की तिथि को या उससे पहले OMDA के समयपूर्व समापन या समाप्ति के परिणामस्वरूप किए गए दावों के संबंध में देयता प्रभावित या प्रतिकूल नहीं होगी।

5. कर

5.1 इसके तहत गारंटीकर्ता द्वारा किए गए सभी भुगतान सेट-ऑफ (set off) और काउंटर-क्लेम के बाद किए जाएंगे, जिसमें किसी भी कर के कारण कोई भी कटौती/विदोहोल्डिंग शामिल है। इसके अलावा निम्नलिखित के कारण भी कटौती और समायोजन किया जाएगा:

- (i) जेवीसी द्वारा प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य कोई भी राशि; और
- (ii) एआई चूक घटना / जेवीसी चूक घटना / अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के घटित होने के बाद से हस्तांतरित की जा रही प्रासंगिक हस्तांतरण संपत्तियों और गैर-हस्तांतरण संपत्तियों के दावों के संबंध में जेवीसी द्वारा प्राप्त या जेवीसी को देय कोई

भी बीमा राशि, जिसके कारण OMDA का समापन या समाप्ति हुई, और/या लागू कानून द्वारा यथा आवश्यक कटौतियाँ।

5.2 गारंटीकर्ता इस गारंटी के निष्पादन, प्रवर्तन या साक्ष्य में स्वीकार्यता के संबंध में देय किसी भी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करेगा।

6. जेवीसी कानूनी सहारा समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं

6.1 इस गारंटी के खंड 2.1 के अधीन, जेवीसी इस गारंटी को लागू करने के लिए कदम उठाने से पहले निम्नलिखित के लिए बाध्य नहीं होगी:

- (a) किसी भी अदालत में या किसी मध्यस्थ के समक्ष प्राधिकरण के खिलाफ कोई निर्णय या मध्यस्थता निर्णय (arbitration award) प्राप्त करना; या
- (b) प्राधिकरण के दिवालियापन के लिए कोई दावा करना या दायर करना।

7. गारंटी में संशोधन

7.1 इस गारंटी के उद्देश्यों के लिए, OMDA या SSA में मौखिक या लिखित रूप से ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा जो इस गारंटी में संदर्भित हस्तांतरण भुगतान को प्रभावित करता हो, जब तक कि ऐसे संशोधन गारंटीकर्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ निष्पादित न किए गए हों। कोई भी अन्य संशोधन गारंटीकर्ता की सहमति के बिना लेकिन जेवीसी द्वारा गारंटीकर्ता को लिखित रूप में पूर्व सूचना देकर किया जा सकता है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता, या ऐसी सूचना देने में विफलता का परिणाम यह होगा कि जहाँ तक गारंटीकर्ता का संबंध है, संशोधन शून्य (void) माना जाएगा।

8. विविध प्रावधान

8.1 इस गारंटी के खंड 4.1 के अधीन, गारंटीकर्ता का कोई भी दायित्व जेवीसी द्वारा प्राधिकरण को दी गई किसी भी छूट या रियायत, OMDA के किसी भी बदलाव या किसी अन्य कार्य या बात से समाप्त या कम नहीं होगा (शिवाय प्राधिकरण द्वारा गारंटीकृत दायित्वों की पूर्ति के)। इस खंड 8.1 के प्रावधानों को छोड़कर गारंटीकर्ता के दायित्व समाप्त हो जाते। खंड 7 के अधीन, उस सीमा तक जहाँ तक ऐसी छूट या बदलाव गारंटीकर्ता की देयता को प्रभावित करते हैं, वे गारंटीकर्ता पर बाध्यकारी नहीं होंगे। (किसी भी संदेह से बचने के लिए, इस खंड 8.1 का प्रभाव खंड 7 को ओवरराइड करने का नहीं है।)

8.2 यह गारंटी हस्तांतरण भुगतान के संबंध में प्राधिकरण के दायित्वों के लिए जेवीसी द्वारा किसी भी समय रखी जा सकने वाली किसी भी अन्य प्रतिभूति के अतिरिक्त होगी, न कि उसके स्थान पर या उसके अल्पीकरण में। हालाँकि, यह किसी भी तरह से उन अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो गारंटीकर्ता के पास राज्य सरकार या प्राधिकरण के खिलाफ कानून के तहत हो सकते हैं।

8.3 गारंटीकर्ता या जेवीसी द्वारा किसी अधिकार या उपचार का प्रयोग करने में विफलता या देरी को उसके त्याग (waiver) के रूप में संचालित नहीं किया जाएगा। किसी अधिकार या उपचार का एकल या आंशिक प्रयोग उसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य

अधिकार या उपचार के प्रयोग को नहीं रोकेगा। गारंटीकर्ता या जेवीसी द्वारा कोई भी छूट तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह लिखित रूप में न हो। यहाँ प्रदान किए गए गारंटीकर्ता या जेवीसी के अधिकार और उपचार कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार या उपचार के अनन्य नहीं हैं।

9. विवाद समाधान

9.1 मध्यस्थता (Arbitration): इस गारंटी के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत तीन (3) मध्यस्थों के न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा। मध्यस्थता के दावेदारों और उत्तरदाताओं में से प्रत्येक एक (1) मध्यस्थ नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त दो (2) मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे जो न्यायाधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (मिलकर "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" का गठन करेंगे)।

9.2 मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

9.3 मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा।

9.4 यह खंड 9 इस गारंटी की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी जीवित रहेगा।

9.5 मध्यस्थता का शासी कानून भारत का सारभूत कानून (substantive laws) होगा।

10. शासी कानून और क्षेत्राधिकार

10.1 यह गारंटी भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित होगी, और उपर्युक्त खंड 9 के अधीन दिल्ली की अदालतों का इस गारंटी से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी मामलों पर विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

11. [इरादतन छोड़ा गया]

12. नोटिस

12.1 दिए जाने वाले सभी नोटिस, मांगें या अन्य संचार अंग्रेजी भाषा में लिखित रूप में होंगे, गारंटीकर्ता या जेवीसी (जैसा भी मामला हो) को निम्नलिखित पते पर (या गारंटीकर्ता या जेवीसी द्वारा एक-दूसरे को लिखित रूप में दिए गए किसी भी अन्य पते पर) संबोधित किए जाएंगे और वितरण पर दिए गए माने जाएंगे:

- **गारंटीकर्ता:** सचिव, भारत सरकार
- **जेवीसी:** दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली।

13. लागू होना

13.1 यह गारंटी इसके निष्पादन की तिथि से लागू होगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप, यह गारंटी ऊपर लिखित पहली तिथि को निष्पादित और वितरित की गई है:

स्वीकृत और सहमत:

जेवीसी की ओर से और उनके लिए: (हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम)

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित:

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए: (हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम)

अनुसूची 8: आधार हवाई अड्डा शुल्क

शुल्क) Charges)	संरचना और स्तर) Structure and Level)
------------------	---------------------------------------

1. लैंडिंग शुल्क

□□□□□□ □□□□□□ □□□-□□ □□□ (MAUW)	घरेलू उड़ानें (Domestic Flights)	घरेलू उड़ानें (Domestic Flights)
≤ 21 MT	आईएनआर 103 / MT	लागू नहीं) Not applicable)
> 21-100 MT	आईएनआर 170.80 / MT	आईएनआर 227.7 / MT
> 100 MT	आईएनआर 17,080 + 100 MT से अधिक वजन पर आईएनआर 229.50 / MT	आईएनआर 22,770 + 100 MT से अधिक वजन पर आईएनआर 306 / MT

- प्रति लैंडिंग न्यूनतम 1,000 रुपये शुल्क, MAUW ≤ 21 MT वाले घरेलू विमानों के मामले को छोड़कर।
- सुपरसोनिक विमानों के लिए लैंडिंग शुल्क पर 25 प्रतिशत अधिभार (surcharge)।
- 2301-2400 बजे IST के बीच अंतर्राष्ट्रीय लैंडिंग पर 5 प्रतिशत अधिभार (पीक आवर)।
- 1301-1600 बजे IST के बीच अंतर्राष्ट्रीय लैंडिंग पर 5 प्रतिशत की छूट

- घरेलू उड़ानों के लिए 15 दिनों की क्रेडिट अवधि के भीतर भुगतान करने पर लैंडिंग शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट।
- भारतीय ऑपरेटरों के अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के घरेलू लेग (leg) को हवाई अड्डा शुल्कों के मामले में घरेलू उड़ान माना जाएगा।
- घरेलू अनुसूचित ऑपरेटरों द्वारा संचालित 80 या उससे कम सीट क्षमता वाले विमानों/हेलिकॉप्टरों और सभी प्रकार के हेलिकॉप्टरों के लिए कोई लैंडिंग शुल्क नहीं।

2. हाउसिंग शुल्क

सकल वजन (AUW)	□□□ □□□□□□□ (□□□□□ □□□□ □□ □□) [All Flights (rate per hour)]
≤ 100 MT	आईएनआर 7.40 / MT
> 100 MT	आईएनआर 740 + 100 MT □□ □□□□ □□□ □□ आईएनआर 9.80 / MT

3. पार्किंग शुल्क

- जब कोई विमान खुले में पार्क किया जाता है, तो केवल हाउसिंग शुल्क का आधा हिस्सा लिया जाता है।
- पहले 2 घंटों के लिए कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता है।
- मुफ्त पार्किंग समय की गणना करते समय, टचडाउन और पार्किंग स्टैंड पर वास्तविक पार्किंग समय के बीच 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाता है। पार्किंग स्टैंड से टेक-ऑफ बिंदु तक विमान के टैक्सी समय के लिए अन्य 15 मिनट जोड़े जाते हैं।
- प्रभार्य पार्किंग समय की गणना के लिए, घंटे के किसी भाग को निकटतम घंटे में पूर्णांकित (round off) किया जाएगा।
- शुल्क निकटतम मीट्रिक टन (MT) के आधार पर तय किए जाएंगे।
- प्रत्येक अवधि के पार्किंग शुल्क को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
- इन-कॉन्टैक्ट स्टैंड्स (In-contact stands) पर, मुफ्त पार्किंग घंटों के बाद, पहले दो घंटों के लिए सामान्य पार्किंग शुल्क लिया जाता है। इस अवधि के बाद, शुल्क सामान्य शुल्क से दोगुना हो जाता है।

4. एक्स-रे बैगेज शुल्क

- घरेलू उड़ानें (पंजीकृत सामान / Registered baggage):
 - ≤ 25 सीटें: आईएनआर 100
 - 26-50 सीटें: आईएनआर 200
 - 51-100 सीटें: आईएनआर 450
 - 101-200 सीटें: आईएनआर 700
 - ≥ 201 सीटें: आईएनआर 800

- **अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें (पंजीकृत सामान / Registered baggage):**
 - 747, DC-10 और Tristar विमानों की टर्नअराउंड उड़ानों (turnaround flights) के लिए: **US\$ 190.50**
 - ट्रांजिट उड़ानों (transit flights) के लिए: **US\$ 135.75**

5. यात्री सेवा शुल्क

- आईएनआर टैरिफ के खिलाफ जारी किए गए टिकटों के मामले में प्रति प्रस्थान करने वाले यात्री पर **200 भारतीय रुपये (आईएनआर 200)**।
- डॉलर टैरिफ के खिलाफ जारी टिकटों के मामले में प्रति यात्री **5 अमेरिकी डॉलर (US\$ 5)**।
- अमेरिकी डॉलर (US\$) से भारतीय रुपये (आईएनआर) में रूपांतरण के लिए, पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि (first fortnightly billing period) के लिए महीने के पहले दिन की दर और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के 16वें दिन की दर को अपनाया जाएगा।

नोट: आईएनआर = भारतीय रुपये